न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 88/14 GCMS NO 2014/00242

हारया पुत्र बंशी जाति मीना निवासी कैसोपुरा तहसील व जिला करौली(मृतक)
1. रामगिलास पुत्र हारया
2. [illegible]न्तरबाई
3. केशन्ती
4. निरीबाई
5. भरोसी पुत्रियान हारया जातियान मीना निवासीयान कैसोपुरा तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र देवीलाल जाति मीना निवासी आडा डूँगर तहसील सपोटरा जिला करौली(मृतक)

1/1. होरी लाल पुत्र रघुनाथ जाति मीना निवासी आडा डूँगर तहसील सपोटरा

1/2. साबूती पुत्री रघुनाथ पत्नि होरी लाल जाति मीना निवासी दौलतिया तहसील व जिला करौली

1/3. भवूती पुत्री रघुनाथ पत्नि जगदीश जाति मीना निवासी दौलतियां तहसील करौली

1/4. बत्तो पुत्री रघुनाथ पत्नि रमेश जाति मीना निवासी मामचारी तहसील व जिला करौली

2. रामचरण पुत्र स्व0बंशी जाति मीना निवासी कैसोपुरा तहसील करौली(मृतक)

2/1. नेमी पुत्र रामचरण

2/2. राजू पुत्र रामचरण जातियान मीना निवासीयान कैसोपुरा तहसील व जिला करौली

2/3. गुडडी पुत्री रामचरण पत्नि श्याम जाति मीना निवासी कैसोपुरा हाल निवासी लांगरा तहसील मण्डरायल जिला करौली

2/4. सुआबाई पत्नि रामचरण जाति मीना निवासी कैसोपुरा तहसील व जिला करौली

3. गोटे
4. सरदार
5. ठण्डी पिसरान स्व0 बंशी जातियान मीना निवासीयान ग्राम केसोपुरा तहसील व जिला करौली
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 68/11 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.14 न्यायालय उप जिला कलक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री रामजीलाल अग्रवाल

दिनांक 25.02.2025

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.14 न्यायालय उप जिला कलक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 2212 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा, 3888 रकबा रकबा 2 बीघा 16 विस्वा , 3889 रकबा 01 बीघा, 3892 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, 3893 रकबा 2 विस्वा चाह व ख0न0 3894 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 14 बीघा 15 विस्वा ग्राम कैलादेवी मे स्थित है जो वादी के पूर्वज गोलरी की पुश्तैनी आराजीयात होने से पूर्वजो के समय से ही काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजीयात गोलरी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके लडके रामपाल के खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही थी और रामपाल के कोई संतान नही थी रामपाल वादी के साथ रहता था और रामपाल की सेवा सुश्रुषा वादी ने ही की थी रामपाल की मृत्यु हो जाने पर सारे किया कर्म दाह संस्कार आदि समस्त कार्य वादी ने ही किये थे। वादी मृतक रामपाल के जीवनकाल से ही आराजीयात को काश्त कर काबिज चला आ रहा है। वादी के हक मे रामपाल की मृत्यु के बाद नामा0 तस्दीक होकर विवादित आराजीयात की खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे हो चुके है। जिसे 30 साल से अधिक का अर्सा हो चुका है। राजस्व रिकार्ड मे नामा0 संख्या 174 दिनांक 8.11. 95 के द्वारा वादी के खातेदारी इन्द्राज हटाकर पुनः रामपाल पुत्र गोलरी के नाम किया गया। जिसकी जानकारी वादी को 15.1.99 को पटवारी हल्का से जमाबंदी प्राप्त करने पर हुई। इस कारण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। विवादित आराजीयात वादी के पूर्वज गोलरी के समय की पुश्तैनी आराजीयात है मृतक रामपाल वादी के साथ रहता था और वादी ने रामपाल की सेवा सुश्रुषा वादी ने ही की थी रामपाल की मृत्यु हो जाने पर सारे किया कर्म दाह संस्कार आदि समस्त कार्य वादी ने ही किये थे। वादी मृतक रामपाल के जीवनकाल से ही आराजीयात को काश्त कर काबिज चला आ रहा है जिसे 12 साल से अधिक कां अर्सा हो चुका है वादी का कब्जा विवादित आराजीयात पर निरन्तर बिना किसी व्यवधान के चला आ रहा है जिसकी प्रतिवादीगण व ग्रामवासियो को पूरी जानकारी है। वादी का कब्जा आराजीयात पर मुखालपाना हो चुका है वादी विवादित आराजीयात को अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। विवादित आराजीयात का प्रतिवादीगण या अन्य किसी और कोई का मालिकाना काबिजाना खातेदारी काश्तकारी संबंध नही है। प्रतिवादी न0 1 प्रतिवादी न0 2 ता 6 से साजिश किये हुए है जो पैसे के बल पर विवादित आराजीयात की खातेदारी कराकर आराजीयात को वादी से जबरन हडपना चाहते है । प्रतिवादी न0 1 का मृतक गोलरी व मृतक रामपाल से कोई संबंध नही था ना ही वह ग्राम केशोपुरा का निवासी है और मृतक रामपाल की आराजीयात से कोई संबंध नही है मात्र पैसे के बल पर आराजीयात को हडपना चाहता है। अतः विवादित आराजीयात खसरा न0 2212 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा, 3888 रकबा रकबा 2 बीघा 16 विस्वा , 3889 रकबा 01 बीघा, 3892 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, 3893 रकबा 2 विस्वा चाह व ख0न0 3894 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 14 बीघा 15 विस्वा ग्राम कैलादेवी को काश्तकार घोषित किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वादी के हक मे राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी इन्द्राज अमल कराये जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर अपीलाट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम केलादेवी जिला करौली मे स्थित है। अपीलांट/वादी के पूर्वज गोलरी के समय की पुश्तैनी आराजीयात है। गोलरी का पुत्र रामपाल था गोलरी के भाई ग्यारसा के पुत्रगण बंशी की संतान वादी हारया व प्रतिवादी रामचरण,गोटे,सरदार,ठण्डी है जो रेस्पो० संख्या 2 ता 5 है। प्रतिवादीगण रघुनाथ रामपाल का गोलरी का वारिस नही है उत्तराधिकारी नही है। वादी ने ही रामपाल की सेवा की है। उसके मृत्यु संस्कार किये है। अपीलाट/वादी रामपाल के साथ रहता था रामपाल की मृत्यु के बाद वादी के हक मे नामा० तस्दीक हुआ। वादी रामपाल का उत्तराधिकारी वारिस है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 40 के अनुसार वादी रामपाल की कृषि भूमि जायदाद व चल अचल सम्पति का उत्तराधिकारी है। बंशी के अन्य पुत्रगण प्रतिवादीगण न० 3 ता 6 को कोई आपत्ति नही है। उनकी कोई साक्ष्य वादी के विपरित प्रकरण मे नही हुई है। वादी विवादित आराजीयात की अपने हक मे खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज खातेदारी कराने का अधिकारी है। वादी का कब्जा मुखालफाना हो चुका है। वादी के कब्जे के संबंध मे बंशी के अन्य पुत्रगण को कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी रघुनाथ मृतक रामपाल पुत्र गोलरी का वारिस नही है। रघुनाथ आडा डूँगर का स्थाई निवासी है। वह देवीलाल का पुत्र है और देवीलाल की जायदाद जमीन आदि पर वह काबिज है। प्रतिवादी रघुनाथ के मन मे बदनियती आने से बंशी के अन्य पुत्रो के साथ मिलकर वादी को बेदखल करने पर आमादा है। रामपाल की जायदाद मे उसके कोई खातेदारी अधिकार नही बनते है। प्रतिवादी रघुनाथ द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे मे रामपाल के एक पुत्र देवीलाल था। रघुनाथ रामपाल के पुत्र देवीलाल का पुत्र होने से रामपाल का वारिस है। इसलिए रघुनाथ आराजी की खातेदारी अपने नाम कराने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकृत तथ्यो को नजर अंदाज किया है। प्रतिवादी साक्ष्य से यह तथ्य स्वीकृत है कि रघुनाथ का पिता देवीलाल जो है वह रामपाल का पुत्र नही होकर देवीलाल ,[illegible] लक्ष्मण काका भतीजे है। इस प्रकार रिकार्ड एवं साक्ष्य से साबित है कि रघुनाथ [illegible] वारिस नही है। इस प्रकार प्रतिवादी रामपाल के स्थान पर अपने नाम [illegible] अधिकारी नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने अभिवचन एवं साक्ष्य [illegible] ज किया है। अभिवचन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अनुरूप जो साक्ष्य नही है वह स्वीकार योग्य नही होती है। प्रतिवादी के ऐसे कोई अभिवचन नही है कि हारया ने 1200/–रूपये लेकर कब्जा रघुनाथ को दे दिया एवं उक्त बताई गई लिखापढी प्रोपर स्टाम्प पर विधिवत विधि सम्मत नही है। जो दस्तावेज न्यायालय हाजा की पत्रावली पर प्रदर्श नही है विधिवत साबित नही हुए है उनका विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है। प्रतिवादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि देवीलाल रामपाल का पुत्र नही है। प्रतिवादी ने सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया है। सरपंच को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नही है। यह केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय मे बताई गई लिखापढी प्रोपर स्टाम्प पर नही है ना ही रजिस्टर्ड है जो साक्ष्य मे ग्रहण योग्य नही है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। वादी के गोलरी से क्या संबंध है यह सजरे मे बताया गया है और सजरा को प्रतिवादी साक्ष्य मे समर्थन प्राप्त हुआ है। वादी का बंशी का पुत्र होना प्रतिवादीगण का स्वीकृत तथ्य है और बंशी गोलरी के भाई ग्यारसा का पुत्र है इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत रामपाल का वारिस है उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी ने दस्तावेज वादी की साक्ष्य दिनांक 26.7.12 को समाप्त हो जाने के बाद पेश किये है उसके वाद प्रतिवादी की साक्ष्य हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य को रिवटल अधिकार प्रदान नही किया है। जो आदेशिका दिनांक 11.11.14 से स्पष्ट है। प्रतिवादी द्वारा दस्तोवज ए 6 व ए 7 दौराने दावा तैयार किये गये है जो विश्वास योग्य नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आराजीयात का वादी/अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी की और से प्रस्तुत किया गया काउन्टर क्लेम, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है उसे खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि विवादित आराजीयात गोलरी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। अपीलांट का इस आराजीयात से कोई वास्ता एवं संबंध नही है। अपीलांट विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त नही है ना ही कभी रहा है। रामपाल लाऔलाद फौत नही हुआ है बल्कि रामपाल के एक पुत्र देवीलाल था जिसका जिक्र वादी/अपीलांट ने वाद पत्र मे वर्णित सजरे मे जिक्र ही नही किया है। रामपाल वादी के साथ कभी नही रहा है ना ही उसके द्वारा रामपाल के किया कर्म आदि किये गये है। रामपाल की मृत्यु के बाद कभी भी आराजीयात वादी/अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज नही हुई है। यदि रामपाल की मृत्यु के बाद कोई खातेदारी अगर वादी/अपीलांट के नाम दर्ज हुई हो तो वह गलत हुई इसलिए इन्द्राजात पुनः रामपाल के नाम किये गये । प्रतिवादी रघुनाथ एवं देवीलाल मात्र रामपाल का वारिस है। रामपाल का पुत्र देवीलाल था और प्रतिवादी रघुनाथ देवीलाल का पुत्र है। इस प्रकार गोलरी का एक मात्र वारिस है। अधिनस्थ न्यायालय मे [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श ए–1 लगायत ए–7 का कोई खण्डन अपीलांट/[illegible] किया गया है। वर्ष 1968 मे अपीलांट द्वारा दावा प्रदर्श ए–4 दिनांक 7.10.68 को [illegible] मे पेश किया गया था जो दिनांक 27.9.76 को खारिज हो गया था इस तथ्य को अपीलांट द्वारा अपने अभिवचनो मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

छुपाया गया है। प्रदर्श ए–5 दिनांक 9.4.69 को अपील का निर्णय अनुसार अपीलांट हारया की गलत खातेदारी होने से रामपाल के नाम हो गई। इस निर्णय को अपीलांट द्वारा 51 वर्ष बाद भी चैलेन्ज नही किया गया है और वर्ष 1968 से आज तक लगातार रामपाल व रघुनाथ काश्त करते रहे है। प्रदर्श ए–3 के जरिये 1200/–रूपये अपीलांट हारया को रेस्पो0रघुनाथ ने अदा कर दिये है। जिसका कोई विरोध अपीलांट ने नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रदर्श ए–6 प्री डिकी(सजरा) एवं प्रदर्श ए–7 पंडा की लिखापढी पेश की थी जिसका कोई विरोध अपीलांट की ओर से नही किया गया है। रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा 2011 आरवीजे पेज 367, 1963 पटना पेज 113, 2002 एआईआर कर्नाटक पेज 73 , 2011 डीएनजे एससी पेज 456, 2010(3) डीएनजे राज0 1371 पेश की गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि अनुरूप होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात गोलरी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात थी। गोलरी की मृत्यु के पश्चात नामा0संख्या 174 दिनांक 8.11.95 के द्वारा खाता रामपाल पुत्र गोलरी मीना सा.केशोपुरा के नाम स्वीकार हुआ जो कि जमाबंदी सम्वत 2052–55 से स्पष्ट है एवं नामा0संख्या 174 दिनांक 8.11.95 के द्वारा विवादित आराजीयात हारया पुत्र बंशी मीना के स्थान पर रामपाल पुत्र गोलरी के नाम दर्ज की गई। इससे स्पष्ट है कि मुख्य विवाद मृतक रामपाल पुत्र गोलरी की आराजीयात को लेकर है। अपीलांट हारया अपने आप को रामपाल का उत्तराधिकारी बताता है तथा रेस्पो0 रघुनाथ भी रामपाल का उत्तराधिकारी होने का दावा करता है। पत्रावली मे उपलब्ध शपथ पत्र डी डब्लू 1 मे शपथ ग्रहिता रघुनाथ ने अपने पिता का नाम देवी लाल अंकित किया है। इसी प्रकार बयान पी डब्लू 3 प्रभू पुत्र मंगल द्वारा भी दौराने बयान कथन किया कि रामपाल के मरने के बाद उसके सारे किया कर्म वादी हारया ने ही किये है एवं रामपाल अपने जीवनकाल मे हारया के साथ ही रहता था तथा रघुनाथ इस ग्राम का निवासी नही है। इस प्रकार मृतक रामपाल की विरासत का कौन उत्तराधिकारी है। यह अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट नही किया है तथा रामपाल का जायज वारिस कौन है इस तथ्य को भी स्पष्ट नही किया है। पत्रावली मे रामपाल के विधिक वारिस होने के बाबत किसी प्रकार का कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नही है ना ही कोई सजरा खानदान है। जिससे रामपाल के विधिक वारिसान कौन है यह तथ्य साबित हो सके। उपर्युक्त विवेचन से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को मृतक रामपाल के विधिक वारिसान की जॉच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 104/2011 निर्णय दिनांक 15.12.14 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जाता है कि मृतक रामपाल पुत्र गोलरी के विधिक वारिसान की जॉच कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के यहॉ दिनांक 4.4.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner